



संख्या-64 /2025/1313/77-6-2025/1678329

प्रेषक,

पीयूष वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ:25-08-2025

विषय:- औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियावन्त्यन हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 13000.00 लाख के सापेक्ष कुल रु0 3,97,87,000.00 (**रु0 तीन करोड, सन्तानबे लाख, सत्तासी हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या-165/विनि/वियोवि/2025-26 दिनांक 19.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के अन्तर्गत पात्र इकाई को स्वीकृत किए गए ब्याजमुक्त ऋण की शत-प्रतिशत धनराशि वितरित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में योजनान्तर्गत आवंटित बजट धनराशि रु0 13000.00 लाख के सापेक्ष कुल रु0 3,97,87,000.00 (**रु0 तीन करोड, सन्तानबे लाख, सत्तासी हजार मात्र**) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

धनराशि (रु० लाख में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	ब्याज मुक्त ऋण की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित शत प्रतिशत धनराशि
1.	मे0 भारत इन्फ्रासीमेन्ट लिमिटेड, चन्दौली	2017-18	98.63
2.	तदैव	2018-19	109.61
3.	तदैव	2019-20	78.67
4.	तदैव	2020-21	48.89
5.	तदैव	2021-22	62.07
	कुल योग		397.87 (रु0 तीन करोड सन्तानबे लाख सत्तासी हजार मात्र)

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के क्रियावन्त्यन हेतु वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु0 13000.00 लाख के सापेक्ष उपरोक्त इकाई को स्वीकृत ब्याज मुक्त ऋण वितरित किये जाने हेतु कुल रु. 3,97,87,000.00 (**रु0 तीन करोड, सन्तानबे लाख, सत्तासी हजार मात्र**) की धनराशि आपके

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

निर्वर्तन पर रखने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत/ अवमुक्त किए जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि का भुगतान जिस इकाई को किया जाना है, उसके बैंक खाते में सीधे आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी. के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से तत्काल शासन के औद्योगिक विकास विभाग अनुभाग-6/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4 एवं समस्त संबंधितों को उपलब्ध कराया जाएगा।
3. उ०प्र० वित्तीय निगम ऋण वितरित किए जाने के पूर्व पात्र इकाइयों के संबंध में अपने स्तर से पात्रता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर लेंगे तथा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्तावित व्याजमुक्त ऋण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी प्रक्रियाओं/विधिक औपचारिकताओं का पालन कर लिया गया है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।
5. किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते/अन्य किसी खाते में नहीं रखा जाएगा।
6. स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।
8. यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी, जो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 (यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हो।
9. पात्र इकाइयों को वितरित ऋण की वसूली का पूर्ण उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम पर होगा। वसूली में शिथिलता बरते जाने पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर अग्रेतर कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।
10. यदि इन इकाइयों द्वारा ऋण वापसी के सम्बन्ध में डिफाल्ट किया जाता है तो डिफाल्ट की तिथि से आगे दी जाने वाली धनराशि का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा।
11. वित्तीय निगम द्वारा इकाइयों को स्वीकृत किये गये ऋण की वापसी हेतु औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार प्रभावी व्यवस्था की जाएगी तथा धनराशि की सुरक्षा हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाएंगी।
12. ऋण की वापसी में विलम्ब करने वाली इकाई से वसूला जाने वाला ब्याज (1.25 प्रतिशत प्रतिमाह साधारण ब्याज) राजकोष में जमा कराया जाएगा।
13. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए उ०प्र० वित्तीय निगम उत्तरदायी होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14. स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप दिनांक 27.03.2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

15. उ०प्र० वित्तीय निगम द्वारा स्वीकृत धनराशि आहरित करने से पूर्व इकाई की पात्रता एवं आंकड़ों की शुद्धता का परीक्षण कर संतुष्ट हो लेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय ₹0 3,97,87,000.00 (₹0 तीन करोड़, सन्तानबे लाख, सत्तासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 007 लेखा शीर्षक 6885011900600 औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003-मानक मद 30 निवेश/ऋण मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- E-6-13-X-2025-26, दिनांक 19.08.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 64 /2025/1313 (1)/77-6-2025/1678329 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, एवं लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
4. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम, कानपुर के पत्र संख्या-165/विनि/वियोवि/2025-26 दिनांक 19.06.2025 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु ।
6. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ/कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।